पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 225/2024

अनवान :

1. सुरेन्द्र पुत्र जयमल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र जयमल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. जयमल पुत्र महीपत जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र मोठसरा एवं वकील प्रतिवादी श्री सलमान की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 533 के ख0सं0 908/156 की 1.7660 है0 तथा खसरा संख्या 914/382 की 1.2410 है0 कुल खसरा 2 की 3.0070 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जयमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जयमल अकेले की बजाय वादी सं0 1 सुरेन्द्र व वादी सं0 2 राजकुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयमल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर
(प्रिया बजाज) RAS
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 225/2024

अनवान :

1. सुरेन्द्र पुत्र जयमल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र जयमल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. जयमल पुत्र महीपत जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रविन्द्र मोठसरा : **वादीगण**

वकील श्री सलमान : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 03.03.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 533 के ख0सं0 908/156 की 1.7660 है0 तथा खसरा संख्या 914/382 की 1.2410 है0 कुल खसरा 2 की 3.0070 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जयमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राजकुमार पुत्र जयमल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घेऊ प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा घेऊ खाता संख्या 533 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा घेऊ खाता संख्या 256/205 सम्वत 2067–2070 प्रदर्श 3 [illegible] करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस [illegible] के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक [illegible] भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamSca

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 533 के ख0सं0 908/156 की 1.7660 है0 तथा खसरा संख्या 914/382 की 1.2410 है0 कुल खसरा 2 की 3.0070 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जयमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जयमल अकेले की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 533 के ख0सं0 908/156 की 1.7660 है0 तथा खसरा संख्या 914/382 की 1.2410 है0 कुल खसरा 2 की 3.0070 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जयमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जयमल अकेले की बजाय वादी सं0 1 सुरेन्द्र व वादी सं0 2 राजकुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयमल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(प्रिया बजाज) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner